निर्माण–कार्य के लिये टेण्डर

मैं/हम एतद् द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत के निमित्त ज्ञापन पत्र में उल्लिखित निर्माण कार्य का, ऐसे ज्ञापन पत्र में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसमें उल्लिखित दरों पर इसके पैरा 1 और ठेका की शर्तो के खण्ड 2 में निर्दिष्ट विशिष्टियों, डिजाईन डाइंग और लिखित अनुदेशों के अनुसार और सभी प्रकार से और ऐसी सामग्री से जिनकी व्यवस्था की गयी हो और ऐसी शर्तो के अनुसार जहाँ तक प्रयोज्य हों सभी अन्य प्रकार से निस्पादित करने के लिये टेण्डर देता हूँ/देते हैं।

ज्ञापन पत्र

(क) सामान्य व्यौरा– यादि अनेक उप निर्माण–कार्य सम्मिलित किये जाये तो उन्हें एक पृथक सूची में व्यौरेवार देना चाहिए।

(ख) अनुमानित लागत..........

पृष्ठ..........पर पैरा..........के अनुसार रूपया..........

(ग) बयाने की धनराशि..........

निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिखित आदेश के दिनांक से कार्य के लिये अनुमत समय..........मास..........

क्र0सं0	मद संख्या	निर्माण कार्य की मद	लगभग संख्या या परिणाम	इकाई	टेण्डर पर अंकों में	टेण्डर पर शब्दों में	स्वीकृत दर अंकों में	स्वीकृत दर शब्दों में

स्वीकृत अनुमानों में दर्ज दरों से (..........) अधिक/कम प्रतिशत पर टेण्डर देता हूँ/देते हैं।

या

उपर्युक्त दरों पर टेण्डर देता हूँ/देते हैं।

यदि यह टेण्डर स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुमोदित ठेका लेख्यों के सेट से संलग्न ठेका की शर्तो और उसके उपबन्धों का पालन करने और उन्हें पूरा करने या उससे ब्यतिवय करने पर अध्यक्ष, जिला पंचायत उस पद में उत्तरवर्तियों के प्रति उक्त शर्तो में उल्लिखित धनराशि समपृहत करने और भुगतान करने के लिये सहमत हूँ/हैं। इसके साथ बयाने की धनराशि के रूप में करेंसी नोट्स में..........रूपये धनराशि भेजी जाती है, जिसका पूरा मूल्य ठेका की शर्तो ठेका शर्तो के खण्ड–1 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति जमा के कारण बना रहेगा।

दिनांक.......... टेण्डर फार्म मूल्य जमा की रसीद संख्या व दिनांक..........

साक्षी.......... टेण्डर फार्म मूल्य जमा का प्रकार..........

पता.......... उपजीविका..........

जिला पंचायत की ओर से एतद् द्वारा उपर्युक्त टेण्डर मेरे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

स्वीकृति प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पद नाम..........दिनांक..........

मैं या हम विकलप को काट दीजिये और वहॉ पर हस्ताक्षर कर दीजिये।

यहाँ पर ब्यौरा और संख्या दीजियें।

टेण्डर प्रस्तुत करने से पूर्व ठेकेदार का हस्ताक्षर।

ठेकेदार के हस्ताक्षर के प्रतिसाक्षी का हस्ताक्षर।

यहॉ पर सिफारिश नहीं किया गया है, दर्ज कीजियें और हस्ताक्षर कर दीजिये।

बुक संख्याः ....

24

जिला पंचायत, आजमगढ़।

क्रमांक:............

2360

निविदा प्रपत्र संख्या नि0 का0–3

(नियम 23 देखिये)

(प्रमुख सचिव, पंचायती राज के कार्यकारी आदेश संख्या 5748/33–2–2006–190जी/2006 दिनांक 17.11.2006 द्वारा संशोधित)

ठेकेदारों के लिये प्रतिशत दर टेंडर की मद

निर्माण कार्य का नामः..

ठेकेदार का नामः..

ठेकेदारों के पथ प्रदर्शन के लिये सामान्य नियम और निर्देश

1. ठेके द्वारा निष्पादन के लिये प्रस्तावित सभी निर्माण–कार्य टेण्डर आमंत्रित करने के रूप मे विज्ञापित किये जायेगे और अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट्ट पर चिपकाये जायेंगे जिस पर उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

   इस प्रपत्र में किये जाने वाले निर्माण--कार्य का वर्णन और टेण्डर प्रस्तुत करने और खुलने का दिनांक और निर्माण–कार्य सम्पादित करने के लिये अनुमानित समय, टेण्डर के साथ जमा की जाने वाली बयाने की धनराशि और सफल टेण्डर देने वाले द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति और बिलों से काटा जाने वाला प्रतिशत यदि कोई हो, दिया जायेगा। इस ठेका लेख्य के सेट में प्रस्तावित निर्माण–कार्य की डाइग और ब्यौरा, विशिष्टियां, निर्माण--कार्यो के विभिन्न मदों के परिमाणों की अनुसूची और प्रयुक्त किये जाने वाले टेण्डर के, जिस पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा पहचान के लिये हस्ताक्षर किया जायेगा, प्रपत्र के साथ मुद्रित ठेका शर्तो का प्रपत्र होगा और उस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा जो ठेका देने के लिये सक्षम हो और वह अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय में, कार्यालय समय में जनता के निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा।
2. यदि टेण्डर किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाये तो इस पर फर्म के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग–अलग हस्ताक्षर अवश्य किया जाना चाहिये या किसी भागीदार के अनुपस्थित होने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे इस पर हस्ताक्षर करने के लिये मुख्तारनामें का अधिकार हो, इस पर हस्ताक्षर अवश्य किया जाना चाहिये।
3. किसी ऐसे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में, जब किसी फर्म द्वारा वह निश्पादित किया जाये, किये गये भुगतान के लिये रसीद पर विभिन्न भागीदारों द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिये, सिवाय जब टेण्डर में ठेकेदार फर्म के रूप में वर्णित किये गये हों उस दशा में रसीदों पर फर्म के लाभ में किसी एक भागीदार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हें फर्म के लिये प्रभावी रसीद देने का अधिकार हो, अवश्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिये।
4. कोई ठेकेदार जो टेण्डर प्रस्तुत करता है टेण्डर का नियम प्रपत्र भरेगा और वह प्रपत्र पर वैकल्पिक प्रस्ताव को जो उस मामले पर लागू न हो काट देगा। ऐसे टेण्डर जिनमें टेण्डर आमंत्रित करने की सूचना के प्रपत्र में विनिर्दिष्ट निर्माण कार्य या ऐसा निर्माण कार्य करने के लिये अनुमत समय में या जिसमें किसी प्रकार की कोई अन्य शर्ते हो, उसमें कोई परिवर्तन करना हो या अग्रेजी में भरे गये हो या उसके साथ विज्ञापित बयाने की धनराशि जमा न की गयी हो, अस्वीकार कर दिये जायेंगे। टेण्डरो पर लिफाफे के बाहर उस निर्माण–कार्य का नाम जिसके सम्बन्ध में वे हों, लिखा जायेगा।
5. अपर मुख्य अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत सहायक किन्ही इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में जो उस समय उपस्थित हों, टेण्डर खोलेगा और विभिन्न टेण्डरों की धनराशि एक उपयुक्त प्रपत्र में एक तुलनात्मक विवरण पत्र में दर्ज करेगा। टेण्डर स्वीकार कर लिये जाने की दशा में, उसके साथ भेजे गये बयाने की धनराशि के लिये तदुपरान्त ठेकेदार को एक रसीद दी जायेगी, जो तदुपरान्त पहचान के लिये पैरा– 1 में उल्लिखित विशिष्टियों और अन्य लेख्यों की प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर करेगा। टेण्डर अस्वीकार कर दिये जाने की दशा में, ऐसे अस्वीकार किये गये टेण्डर के साथ भेजी गयी बयाने की धनराशि तदुपरान्त ठेकेदार को लौटा दी जायेगी।
6. स्वीकृति प्राधिकारी को सभी या किसी टेण्डर को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
7. ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी बयाने की धनराशि के लिये किसी लेखाकार, कैशियर, लिपिक या अन्य वसूली कर्मी की रसीद, अपर मुख्य अधिकारी को भुगतान करने की अस्वीकृति के रूप में नहीं मानी जायेगी और ठेकेदार इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उसे अपर मुख्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रसीद मिल जाये।
8. टेण्डर प्रपत्र जारी किये जाने के पूर्व में ऐसे निर्माण–कार्य का ज्ञापन जिसके लिये टेण्डर आमंत्रित किया गया हो अपर मुख्य अधिकारी के कार्यालय में भरा/भेजा जायेगा।
9. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नही की जायेगी जब तक कि आयकर विभाग, व्यापार कर विभाग द्वारा निविदादाता के पक्ष में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दिया जाये।
10. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि ठेकेदार द्वारा जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा 2 वर्ष या उससे कम अवधि का निविदादाता का चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न कर दिया जाये।
11. कोई भी निविदा तब तक स्वीकार नही की जायेगी जब तक कि ठेकेदार द्वारा जनपद के जिलाधिकारी/जिला मजिस्टेट द्वारा सम्बन्धित ठेकेदार की प्रस्तावित संविदागत कार्यको करने की आर्थिक क्षमता एवं पूर्व प्रचलित संतोशजनक गतिविधियों सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न कर दिया जाये।
12. जिला पंचायत, राजकीय विभागों, सार्वजनिक उपकमों, स्वायत्तशासी संगठनों, प्राधिकरणों आदि के काली सूची में अंकित ठेकेदारों/माफियाओं को निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र भरनेएवं ठेके लेने की प्रकिया में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं होगा।
13. एक ठेकेदार द्वारा एक साल्वेंसी सार्टिफिकेट एक ही विभाग में प्रयोग की जायेगी। कुछ साल्वेंसी सार्टिफिकेट को बैंक एवं आयकर विभाग से भी सत्यापन कराये जायेंगे और ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत आर्थिक स्थिति/साल्वेंसी सार्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना पाये जाने पर उनके विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।
14. किसी भी अधिवक्ता को जो राज्य बार कौंसिल से पंजीकृत हो, जिला पंचायत के कार्यो को करने का ठेका अथवा पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
15. जब भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा संभावित निविदाकर्ताओं को धमकी दी गयी है अथवा उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया है तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर पुनः निविदा मॉगने की व्यवस्था की जायेगी।
16. किसी भी ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात् कभी भी यह संज्ञान मे आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिये अनर्ह था, या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक क्रार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओं नोटिस अवश्य दी जायेगी।
17. निविदा डालते समय ठेकेदार की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निविदा को इलेक्टानिकली अथवा कार्यालय जिला पंचायत, आजमगढ़ एवं कार्यालय जिलाधिकारी, आजमगढ़ में रखे निविदा बाक्स में डाला जा सकता है। निविदा फार्म को वेबसाइट http://www.azamgarh.nic.in से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड फार्म की दशा में निविदा फार्म का मूल्य तथा धरोहर धनराशि नकद जिला पंचायत के बैंक स्टेट बैंक आफ इंडिया, मुख्य शाखा रैदोपुर, आजमगढ़ के खाता संख्या 10954895990 में सीधे जमा किया जायेगा तथा निविदा फार्म पर फार्म का मूल्य एवं धरोहर धनराशि का विवरण अंकित करते हुए इलेक्टानिकली www.dpmuazamgarh@gmai.com पर ईमेल किया जा सकता है। निविदा खोलने के समय निविदा फार्मो के साथ बयाने की धनराशि (धरोहर धनराशि की मूल प्रति) संलग्न होने पर ही निविदा पर विचार किया जायेगा।